



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

| | |
|----------|--|
| सं. 260] | नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 23, 2019/श्रावण 1, 1941 |
| No. 260] | NEW DELHI, TUESDAY, JULY 23, 2019/SHRAVANA 1, 1941 |

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2019

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2019

फा.सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.041.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) विनियमन, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) (संशोधन) विनियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) विनियमन, 2017 में, अनुसूची 1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात्:-

**“अनुसूची I
(विनियम 5 देखिए)**

| अनुसंधान सहायक/सलाहकार का अध्ययन-विषय | अर्हताएं | |
|---|---|---|
| | आवश्यक | वांछनीय |
| (1) | (2) | (3) |
| क. अर्थशास्त्र/लोक नीति | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अर्थशास्त्र या लोक नीति में स्नातकोत्तर डिग्री। | (क) सतत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन; (ख) किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अर्थशास्त्र या उससे सन्निकट संबद्ध क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री; (ग) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र। |
| ख. विधि | (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से एलएल.बी. या समतुल्य, और (ii) अधिवक्ता अधिनियम, 1961(1961 का 25) के अधीन गठित किसी विधिज्ञ परिषद् (बार काउंसिल) में अधिवक्ता के रूप में नामांकित होने के लिए अर्हित। | (क) सतत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन; (ख) किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से विधि या उससे सन्निकट संबद्ध क्षेत्र में एलएल.एम./डॉक्टरेट डिग्री; (ग) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र । |
| ग. कारबार प्रबंधन | किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कारबार प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ मास्टर डिग्री/भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान का सदस्य/भारतीय लागत अकाउंटेंट्स संस्थान का सदस्य/भारतीय कंपनी सचिव संस्थान का सदस्य। | (क) आवश्यक स्तंभ में उल्लिखित अर्हताओं में से एक से अधिक अर्हता; (ख) सतत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन; (ग) किसी ख्यातिप्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से विधि/प्रबंधन/लेखा/वित्त/सन्निकट संबद्ध क्षेत्र में डॉक्टरेट डिग्री; (घ) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में डिग्री/डिप्लोमा /प्रमाणपत्र । |
| घ. दिवाला | (i) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (दिवाला व्यावसायिक) विनियमन, 2016 के विनियम 5(ग) के अधीन यथापेक्षित अर्हताएं और अनुभव; और (ii) सीमित दिवाला परीक्षा में उत्तीर्ण। | (क) सतत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन; (ख) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र; (ग) दिवाला व्यावसायिक के रूप में अनुभव । |
| ङ. मूल्यांकन | (i) कंपनी (रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 4 के | (क) सतत उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन; (ख) विनियामक/ कारबार विधि/ अर्थशास्त्र में |

| | | |
|--|---|--|
| | अधीन यथापेक्षित अर्हता और अनुभव; और (ii) सुसंगत आस्ति वर्ग (भूमि और भवन/ संयंत्र और मशीनरी/ प्रतिभूतियां या वित्तीय आस्तियां) की मूल्यांकन परीक्षा में उत्तीर्ण। | डिग्री/डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र; (ग) सुसंगत आस्ति वर्ग के रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक के रूप में अनुभव।” |
|--|---|--|

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./146/19]

टिप्पण : भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (अनुसंधान सहायकों और सलाहकारों की नियुक्ति) विनियमन, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 34, तारीख 31 जनवरी, 2017 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.006, तारीख 30 जनवरी, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अब तक कोई संशोधन नहीं किया गया है।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2019

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) (Amendment) Regulations, 2019

F. No. IBBI/2019-20/GN/REG041.—In exercise of the powers conferred by section 240 read with section 194 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (No. 31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) (Amendment) Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017, for Schedule I, the following Schedule shall be substituted, namely: -

“Schedule I

(See regulation 5)

| Discipline of Research Associate / Consultant | Qualifications | |
|---|--|--|
| | Essential | Desirable |
| (1) | (2) | (3) |
| a. Economics / Public Policy | Post Graduate degree in Economics or Public Policy from a recognised University or Institution. | (a) Consistent high academic performance; (b) Doctoral degree from a reputed University or Institution in Economics or a closely related area; (c) Degree / Diploma / Certification in Regulatory / Business Law / Economics. |
| b. Law | (i) LL. B or equivalent from a recognised University or Institution, and (ii) Qualified to be enrolled as an Advocate in a Bar Council constituted under the Advocate’s Act, 1961 (25 of 1961). | (a) Consistent high academic performance; (b) LL. M. / Doctoral degree from a reputed University or Institution in Law or a closely related area; (c) Degree / Diploma / Certification in Regulatory / Business Law / Economics. |
| c. Business Management | Post graduate degree / Post graduate diploma / Master of Business Management from a recognised University or Institute / A Member of | (a) More than one of the qualifications mentioned in the essential column; (b) Consistent high academic performance; |

| | | |
|---------------|---|---|
| | the Institute of Chartered Accountants of India / A Member of Institute of Cost Accountants of India / A Member of Institute of Company Secretaries of India. | (c) Doctoral degree from a reputed University / Institution in law / management / accounts/ finance / a closely related area; (d) Degree / Diploma / Certification in Regulatory / Business Law / Economics. |
| d. Insolvency | (i) Qualifications and experience as required under regulation 5(c) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Professionals) Regulations, 2016; and (ii) Pass in the Limited Insolvency Examination. | (a) Consistent high academic performance; (b) Degree / Diploma / Certification in Regulatory / Business Law / Economics; (c) Experience as an insolvency professional. |
| e. Valuation | (i) Qualification and experience as required under rule 4 of the Companies (Registered Valuers and Valuation) Rules, 2017; and (ii) Pass in the Valuation Examination of the relevant asset class (Land and Building / Plant and Machinery / Securities or Financial Assets) | (a) Consistent high academic performance; (b) Degree / Diploma / Certification in Regulatory / Business Law / Economics; (b) Experience as a registered valuer of the relevant asset class.”. |

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./146/19]

Note : Insolvency and Bankruptcy Board of India (Engagement of Research Associates and Consultants) Regulations, 2017 were published vide notification No. IBBI/2016-17/GN/REG006 dated 30th January, 2017 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 34 on 31st January, 2017 and these have not been amended so far.